प्रेस नोट दिनांक 31.03.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

गौहत्या के अभियोग में वांछित 50,000/- रुपये के ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मो0 इब्राहिम गिरफ्तार-

एसटीएफ प्रयागराज द्वारा गौहत्या के अभियोग में वांछित 50,000/- रुपये के ईनामिया अभियुक्त मो0 इब्राहिम को तेलियरगंज चौराहे लखनऊ प्रयागराज रोड पर आजाद मार्केट के सामने थाना क्षेत्र शिवकुटी प्रयागराज से गिरफ्तार-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त पर जनपद प्रयागराज, जनपद चित्रकूट व जनपद प्रतापगढ़ में गोवध अधिनियम, पशु क्रूरता, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, चोरी, छेडखानी जैसे गंभीर 08 अपराध पंजीकृत है-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
वादी निवासी ग्राम बरसण्डा, थाना देल्हूपुर, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना देल्हूपुर पर तहरीर दी गई कि दिनांक 16.01.2026 को रात्रि में वादी के दरवाजे पर बंधी उसकी दो गायों को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पगहा सहित खोलकर चोरी कर लिया गया। वादी द्वारा हल्ला-गुहार व खोजबीन के उपरान्त यह भी ज्ञात हुआ कि पड़ोसी की गायें भी चोरी हुई हैं। रात्रि में खोजबीन के दौरान अम्मा पुल जिन्नाथ बाबा के पुल के नीचे नदी किनारे आकाश सिंह की गायों से संबंधित कुछ अवशेष प्राप्त हुए थे। उक्त घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 02/2026 धारा 303(2) बीएनएस व 3/5/8 गौहत्या निवारण अधिनियम उ0प्र0 बनाम अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत किया गया था।

एसटीएफ टीम उ0नि0 गुलजार सिंह मय हमराह हे0का0 प्रभंजन पाण्डेय, हे0का साजिद अली, हे0का0 अनूप राम, हे0का0 अजय यादव, हे0का0 रोहित सिंह, हे0का0 सोनू यादव द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना देल्हूपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 02/2026 धारा 303(2) बीएनएस व 3/5/8 गौहत्या निवारण अधिनियम उ0प्र0 से संबंधित 50000/- रुपये के ईनामिया अन्तर्जपदीय अभियुक्त मो0 इब्राहिम पुत्र हारुन निवासी अहमदपुर असरौली हटवा थाना पूरामुफ्ती प्रयागराज उम्र करीब 30 वर्ष को तेलियरगंज चौराहे लखनऊ प्रयागराज रोड पर आजाद मार्केट के सामने थाना क्षेत्र शिवकुटी प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-
दिनांक 16/17.01.2026 को मैं अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर ग्राम बरसण्डा में गायों को चुराकर उनका वध कर सिर काट कर नदी में फेंक कर मांस बेचने हेतु शरीर उठा ले गये थे। जिस पर हम लोगो के खिलाफ मुकदमा लिखा है। मैं उक्त मुकदमें से बचने हेतु प्रयागराज मे इनाम होने के कारण छिप कर रह रहा था। आज मुकदमे की पैरवी में प्रतापगढ जा रहा था कि आप लोगो ने मुझे पकड़ लिया। मेरे विरुद्ध प्रयागराज, कौशाम्बी में कुल 08 मुकदमें पंजीकृत है। मै जानवर की तस्करी का काम करता हूं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. मो0 इब्राहिम पुत्र हारुन निवासी अहमदपुर असरौली हटवा थाना पूरामुफ्ती प्रयागराज उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त मो0 इब्राहिम पुत्र हारुन निवासी अहमदपुर असरौली हटवा थाना पूरामुफ्ती प्रयागराज उम्र करीब 30 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 02/2026 धारा 303(2)BNS व 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 294/2022 धारा 2,3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज।
3. मु0अ0सं0 295/2022 धारा 2,3(1) उ० प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना पूरामुफ्ती जनपद प्रयागराज।
4. मु0अ0सं0 63/2023 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधि0 थाना पूरामुफ्ती, जनपद प्रयागराज।
5. मु0अ0सं0 64/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पूरामुफ्ती, जनपद प्रयागराज।
6. मु0अ0सं0 57/2023 धारा 429 IPC व 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट।
7. मु0अ0सं0 007/2024 धारा 467/468/471 IPC व 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम थाना बरगढ़, जनपद चित्रकूट।
8. मु0अ0सं0 82/2024 धारा 2/3 गैगेस्टर एक्ट थाना बरगढ़, जनपद चित्रकूट।

पुलिस टीम का विवरण-

एसटीएफ टीम उ0नि0 गुलजार सिंह मय हमराह हे0का0 प्रभंजन पाण्डेय, हे0का साजिद अली, हे0का0 अनूप राम, हे0का0 अजय यादव, हे0का0 रोहित सिंह, हे0का0 सोनू यादव।

थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

प्रतापगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता : चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी का सामान बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना महेशगंज पुलिस की बड़ी कार्यवाही : चोरी के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, 01 अदद सीसीटीवी कैमरा , 01 अदद स्ट्रीट लाईट , एक अदद लाईटिंग अरेस्टर तांबा धातु , 01 अदद सायरन का लाल रंग का डब्बा , जामा तलाशी से बरामद 70 रुपये चिटबन्दी बरामद-

प्रतापगढ़।

दिनांक 30.03.2026 को सुबह में वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त द्वारा हाईवे पर लगे स्टीट लाइट, कैमरा, लाइटिंग अरेस्टर, सायरन एवं इनक्लोजर चोरी कर लिया गया। इस संबंध में थाना महेशगंज में मु0अ0सं0 85/2026 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती

करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी महेशगंज श्री राधेबाबू के नेतृत्व में थाना महेशगंज के उ0नि0 अजय कुमार मय हमराह का0 प्रिंस सेन, हो0गा0 लल्लू राम सरोज, पीआरडी मिथिलेश कुमार सोनी द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 85/26 धारा 303(2) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त दिलीप विश्वकर्मा पुत्र रामराज विश्वकर्मा निवासी ग्राम मंडल भांसो थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को थाना महेशगंज क्षेत्रान्तर्गत गंगाएक्सप्रेस-वे के बगल से रायगढ़ जाने वाले सर्विस रोड के किनारे पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से चोरी की 01 अदद सीसीटीवी कैमरा , 01 अदद स्ट्रीट लाईट , 01 अदद लाईटिंग अरेस्टर तांबा धातु , 01 अदद सायरन का लाल रंग का डब्बा। उक्त बरामदगी के संबंध में थाना स्थानीय में पंजीकृत अभियोग में धारा 317 (2) बीएनएस की बढोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01.दिलीप विश्वकर्मा पुत्र रामराज विश्वकर्मा निवासी ग्राम मंडल भांसो थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष।

बरामदगी-

चोरी की 01 अदद सीसीटीवी कैमरा , 01 अदद स्ट्रीट लाईट , एक अदद लाईटिंग अरेस्टर तांबा धातु , 01 अदद सायरन का लाल रंग का डब्बा , जामा तलाशी से बरामद 70 रुपये चिटबन्दी बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अजय कुमार मय हमराह का0 प्रिंस सेन, हो0गा0 लल्लू राम सरोज, पीआरडी मिथिलेश कुमार सोनी थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़

हत्या के प्रयास के अभियोग में 02 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के अभियोग से संबंधित 02 अभियुक्तों, तौसीफ व तौकीर को घटना में प्रयुक्त 02 अदद लाठी के साथ थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत बकुलाही नदी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया-

प्रतापगढ़।

दिनांक 30.03.2026 को वादी निवासी ग्राम रामपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ आरोप है कि आरोपीगण द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर एक राय होकर गाली-गलौज करते हुए वादी एवं उसके परिवारजनों को लाठी-डण्डों से मारपीट कर घायल किया गया तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मान्धाता पर मु0अ0सं0 31/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम 1. मो0 तौसीफ पुत्र अब्दुल वहीद, 2. मो0 तौकीर पुत्र अब्दुल वहीद, 3. मो0 तफसीर पुत्र अब्दुल वहीद, 4. सबीरा

बानो पत्नी अब्दुल वहीद निवासीगण ग्राम रामपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना मान्धाता के के उ0नि0 केशव राम मय हमराह उ0नि0 अनूप यादव, का0 आनन्द यादव, का0 हरिपाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 31/2026 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बीएनएस से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों, 01. तौसीफ पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी ग्राम रामपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 25 वर्ष, 02. तौकीर पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी ग्राम रामपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 19 वर्ष को घटना में प्रयुक्त 02 अदद लाठी के साथ थाना मान्धाता क्षेत्रान्तर्गत बकुलाही नदी पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों का विवरण-
01. तौसीफ पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी ग्राम रामपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 25 वर्ष।
02. तौकीर पुत्र अब्दुल वाहिद निवासी ग्राम रामपुर थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 19 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 केशव राम मय हमराह उ0नि0 अनूप यादव, का0 आनन्द यादव, का0 हरिपाल थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना जेठवारा के उ0नि0 वारिज मय हमराह द्वारा वाद सं0 39/2019 थाना जेठवारा प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त अब्दुल्ला पुत्र मो0 फारुख निवासी ग्राम चमरुपुर पठान थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 29 वर्ष को उनके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
01. अब्दुल्ला पुत्र मो0 फारुख निवासी ग्राम चमरुपुर पठान थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 29 वर्ष।

पुलिस टीम-
उ0नि0 वारिज मय हमराह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, थाना कुण्डा के उ0नि0 राजकुमार यादव मय उ0नि0 मो0 युनुस द्वारा एसटी नं. 52/2016 अ0स0 204/2015 धारा 135 ईसी एक्ट थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 01 वारंटी अभियुक्त राहुल पटेल पुत्र राममूर्ति पटेल निवासी पटेल मार्केट कस्बा कुण्डा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. राहुल पटेल पुत्र राममूर्ति पटेल निवासी पटेल मार्केट कस्बा कुण्डा थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राजकुमार यादव मय उ0नि0 मो0 युनुस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़।